तीन दोषियों को सश्रम कारावास

अदालत से

श्रावस्ती, संवाददाता। दुष्कर्म मामले में 17 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। 2007 में तीन आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय की ओर से आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

सिरसिया थाने में एक दुष्कर्म पीड़िता की ओर से वर्ष 2007 में तहरीर देकर तीन लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक दिसम्बर 2007 को सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर निवासीगण झब्बर यादव पुत्र मालिकराम, इशहाक पुत्र मूने व अहमद

अली पुत्र शबर अली के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। उस दौरान आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जो बाद में जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। पुलिस की ओर से मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया तो मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामला 17 साल से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय की ओर से आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी आरोपियों को दंडित किया गया

- 17 साल बाद दुष्कर्म पीड़िता को न्यायालय से मिला न्याय
- 2007 में तीनों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
- सिरसिया थाना क्षेत्र में तीन आरोपियों ने किया था दुष्कर्म

दुष्कर्म और जाति सूचक गाली देने के दोषियों को सश्रम कैद

जासं ● श्रावस्ती: सिरसिया क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला के साथ 17 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया की 29 नवंबर 2007 को एक महिला ग्राम प्रधान के घर मनरेगा का पैसा लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते में सिरसिया क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी झब्बर यादव, इशहाक व अहमद अली ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जाति सूचक गाली दी। पीड़ित की तहरीर पर सिरसिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण व सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) अवनीश गौतम ने तीनों को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।

अदालत से

गोवध के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

श्रावस्ती: गोवध के 25 वर्ष पुराने मामले के दोषी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार पांडेय ने बताया की बहराइच जिले के विशेश्वरगंज क्षेत्र के बंजारनपुरवा गांव निवासी रईस अहमद ने गोवध के बाद अपराध को स्वीकार कर लिया था। एसीजेएम/एफटीसी देवर्षि देव ने जेल में बिताए 104 दिन व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।